THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): The recommendations of the Malhotra Committee report are under consideration of the Government.

बिहार को आबंटित राशि

3404. श्री शंकर ज्याल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 के दौरान बिहार सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न पदों के अंतर्गत व्यय हेतु कितनी राशि आबंटित की गई थी :

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत इस तरह आबंटित राशि में से बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया और कितनी राशियों केन्द्रीय सरकार को वापिस की गई;

(ग) क्या नये आबंटन में इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो सरकारें राशियों का समुचित उपयोग नहीं करती है उन्हें राशि न दी जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) किसी राज्य को केन्द्रीय योजना के लिए सहायता सामग्र योजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए सकल अनुदान और सकल ऋण के रूप में प्रदान की जाती है और इसका संबंध किसी विशेष कार्यक्रम/योजना से नहीं होता वार्षिक योजना का आकार योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित किया जाता है : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) और कुछ अन्य योजनाओं/क्षेत्रों के अंतर्गत परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं। यदि कोई राज्य सरकार निर्धारित परिव्यय से अथवा सम्पूर्ण योजना के लिए खर्च कम करती है तो राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में उसी अनुपात में कटौती कर दी जाती है। बिहार की वर्ष 1993–94 की वार्षिक योजना आरम्भ में राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा 2300 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी जिसमें से 868.26 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जानी थी। तथापि बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे संशोधित करके योजन आयोग ने 750 करोड़ रुपए कर दिया था और केन्द्रीय योजना सहायता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था।

(ख) बिहार की वर्ष 1992–93 की वार्षिक योजना राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा 774.26 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी जिसमें से 2202.73 करोड़ रुपए केन्द्रीय सहयाता दी गई थी। बाद में इस योजना को राज्य सरकार के अनुरोध पर योजना आयोग द्वारा संशोधित करके 1100 करोड़ रुपए कर दिया गया था। राज्य सरकार ने संशोधित परिव्यय की तुलना में 1149.10 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी है। यद्यपि वर्ष 1992–93 की योजना के कुल व्यय में कोई कमी नहीं हुई थी तथापि निर्धारित परिव्यय वाली कुछ अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत 8.04 करोड़ रुपए का व्यय कम हुआ था। चूंकि निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत वास्तविक व्यय में कमी हुई थी इसलिए वर्ष 1992–93 की केन्द्रीय सहायता में से राज्य की सामान्य हकदारी से 5.659 करोड़ रुपए की अनुपातिक कटौती कर दी गई थी।

(ग) राशि का आबंटन यह मानकर किया जाता है कि राज्य सरकार योजना पर उतना ही व्यय करेगी जिससे वह सहमत हुई थी और योजना विशिष्ट अनुदान को उसी प्रयोजना के लिए खर्च करेगी जिसके लिए वह मंजूर किया गया था। जैसा कि पैरा (क) के उत्तर में कहा गया है यदि कोई राज्य सरकार निर्धारित/स्वीकृत राशि की अपेक्षा कम व्यय करती है तो केन्द्रीय सहायता को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। राज्यों को राशि का नया आबंटन एन.डी.सी. की दिसम्बर, 1991 में हुई अपनी बैठक में इसके द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किया जाता है।